

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

“प्रशासन शहरों के संग
अभियान-2012”

दिनांक 19-20 अक्टूबर, 2012

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना



प्रस्तावना

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2012–13 में प्रतिवर्ष एक लाख शहरी बी.पी.एल. परिवारों को आवास हेतु अनुदान सहायता की घोषणा।
- राज्य में कुल लगभग 5.10 लाख शहरी बी.पी.एल. (2003 अपडेटेड सूची अनुसार) है।
- शहरी क्षेत्रों में ऐसे पात्र बीपीएल परिवार जिनका नाम किन्हीं कारणों से बीपीएल की चयनित सूची में जुड़ने से रह गया है, नाम जुड़वाने के लिए अपील के तहत सतत प्रक्रिया जारी है।



योजना

- मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की तर्ज पर "मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना" के नाम से यह योजना राज्य की सभी 184 नगर निकायों में लागू है।
- भारत सरकार द्वारा प्रायोजित बीएसयूपी, आईएचएसडीपी व राजीव आवास योजना आदि तथा राज्य के नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों/विकास न्यासों व राजस्थान आवासन मण्डल आदि द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति राज्य के शहरी क्षेत्रों में पूर्व की भांति चालू रहेगी।



उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा के नीचे के निम्न वर्गों के परिवारों को वित्तीय सहायता देकर आवास की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है :-

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ।
- अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी धर्म एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य वर्ग ।)
- अन्य ।



नोडल विभाग एवं राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी

- राज्य स्तर पर योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही के लिए स्वायत्त शासन विभाग नोडल विभाग है।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर (RAVIL) राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी है।



वित्तीय व्यवस्था

- योजना के क्रियान्वयन के लिए 50,000 रुपये प्रति आवास अनुदान सहायता की दर से 1,00,000 परिवारों के लिए प्रतिवर्ष कुल राशि रुपये 500 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था **हुडको (HUDCO) से ऋण** प्राप्त कर की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु रुपये 5,000/- प्रति परिवार की अनुदान सहायता विभाग की अन्य योजनाओं से अलग से देय होगी।
- राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर (RAVIL) द्वारा हुडको से ऋण लिया जाकर स्थानीय निकायों को उक्त **ऋण उसी ब्याज दर** पर उपलब्ध कराया जायेगा।



वित्तीय व्यवस्था (निरन्तर

- हुडको द्वारा इस आवासीय योजना में उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की **ब्याज दर Floating** रहेगी।
- ऋण का पुर्नभुगतान (Re-payment) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नगरीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने वाली अनुदान सहायता से राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी / संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जायेगा।
- अनुदान सहायता का तात्पर्य नगरीय निकायों के स्वयं के संसाधनों एवं राज्य सरकार से **SFC, TFC एवं Untied funds आदि में दी जा रही अनुदान सहायता के अलावा** राज्य सरकार की अतिरिक्त अनुदान सहायता से है।



वित्तीय व्यवस्था (निरन्तर

- ऋण के पुर्नभुगतान हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी एवं सभी नगरीय निकायों द्वारा इस योजना हेतु अलग (Dedicated) खाता संधारित किया जायेगा।
- राज्य स्तर पर वित्तीय प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही के लिए स्वायत्त शासन विभाग में नोडल अधिकारी, मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग हैं।



वित्तीय व्यवस्था (निरन्तर

- ऋण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कराने, अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति कराने एवं समय पर पुर्नभुगतान कराने हेतु योजना से संबंधित प्रभारी अधिकारी (RAVIL) जिम्मेदार होंगे।
- नगर निकायों द्वारा ऋण के संबंध में निकाय की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु निकाय की साधारण सभा में इस संबंध में पूर्ण सूचना प्रस्तुत करनी होगी।



वित्तीय व्यवस्था (निरन्तर

- योजनान्तर्गत हुडको से ऋण लिये जाने हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा निम्नांकित सूचनाएं हुडको को भिजवाई जायेगी :-
 - राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी की गत 3 वर्षों की वित्तीय स्थिति (Copies of Audited accounts) का विवरण ।
 - हुडको के निर्धारित प्रारूप में ऋण आवेदन-पत्र । (आवेदन-पत्र हेतु नगर निकायों से संबंधित आवश्यक सूचनाएं नगर निकायों द्वारा डीडी (आर) के माध्यम से RAVIL को उपलब्ध करवाई जानी है)



पात्रता

योजना में सभी वर्गों के लिए पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:—

1. लाभार्थी का नाम शहरी बीपीएल सूची – 2003 (अपडेटेड) में होना अनिवार्य है।
2. इसके साथ ही :—
 - आवासहीन परिवार।
 - लाभार्थी जिनके पास कच्चे आवास उपलब्ध है।
 - ऐसे परिवार जिनके पास अधूरा पक्का मकान या सिर्फ एक कमरा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर से कम है, अतिरिक्त कमरा बनाकर मकान का उन्नयन (Upgradation) करना चाहते हैं।



पात्रता (निरन्तर

- अफोडेबल आवासीय नीति के तहत ऐसे आवेदन जिनके आवेदक बी.पी.एल. श्रेणी से सम्बन्धित एवं आवासहीन है।
- लाभार्थी जिनके पास ना तो स्वयं की भूमि है, और ना ही कच्चे आवास है अर्थात् यह परिवार कहीं अन्य निवास कर रहे है, ऐसे परिवारों को नगरीय निकायों द्वारा सरकारी/निजी क्षेत्र की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी में आरक्षित किये गये क्षेत्र में नियमानुसार लगभग 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटन निःशुल्क, स्वयं के स्तर से आवास निर्माण हेतु किया जा सकेगा।
- लाभार्थी द्वारा आवास संबंधी किसी भी राजकीय योजना यथा—बीएसयूपी, आईएचएसडीपी व राजीव आवास योजना आदि में आवास संबंधी लाभ प्राप्त नहीं किया हो।



पात्रता—अन्य

- बीपीएल को आवास हेतु नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने की योजना के संबंध में भू-रूपान्तरण की आवश्यकता होने पर नियमानुसार भू-रूपान्तरण निकाय स्तर पर किया जा सकेगा एवं भू-रूपान्तरण की प्रक्रिया सर्वोच्च प्राथमिकता पर सम्पन्न की जावेगी।
- ऐसे परिवार जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, को कच्ची बस्तियों में नियमन की निर्धारित दरों के अनुरूप शुल्क लिया जाकर नियमित किया जा सकेगा।



पात्रता—अन्य (निरन्तर

- बीपीएल परिवार जहाँ निवास कर रहे हैं, को यथासम्भव उसी स्थान पर नियमित किया जाकर आवास सहायता उपलब्ध कराई जावे, परन्तु जहाँ इन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट करना आवश्यक हो, तो उन्हें कलस्टर में लगभग 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाकर बसाया जावेगा एवं सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
- आवश्यकतानुसार कलस्टर में भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा सिवायचक भूमि प्राथमिकता के आधार पर संबंधित नगर निकायों को उपलब्ध कराई जायेगी।
- उक्त योजनाओं में पट्टे जारी करने में विलम्ब नहीं हो, इस दृष्टि से यह भी निर्देशि किया जाता है कि यदि पट्टे पर हस्ताक्षर करने हेतु नगर निकाय के महापौर/सभापति/अध्यक्ष के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत करने पर 10 दिवस में उनके द्वारा पट्टे पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पट्टे पर एकल हस्ताक्षर किये जा कर पट्टे जारी किये जा सकेगें।



आरक्षण

योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित कुल राशि का उपयोग विभिन्न वर्गों हेतु निम्नानुसार किया जा सकेगा :-

1. योजना के कुल आवंटन का कम से कम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए।
2. गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति (सामान्य+ओबीसी+ अल्पसंख्यक) के परिवारों के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत।
3. योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं निधियों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों हेतु। (नोट :- राज्य में पात्र अल्पसंख्यक हेतु मुस्लिम, इसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक माना गया है)



आरक्षण (निरन्तर

4. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत। प्रत्येक वर्ग के कुल लक्ष्यों में से 3 प्रतिशत लक्ष्य विकलांगों हेतु रखे जावे।

नोट: अगर किसी वर्ग विशेष में उपरोक्त श्रेणी के वांछित परिवार उपलब्ध नहीं है, तो इन श्रेणियों में शेष रहे आवासों का लाभ शेष सभी वर्ग के लाभार्थियों को दिया जा सकेगा, जिसका निर्णय नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जावेगा।



अनुदान सहायता राशि की स्वीकृति

- योजना में आवासों हेतु अनुदान/सहायता राशि की स्वीकृति लाभार्थी परिवार की **महिला सदस्य** के नाम होनी चाहिए। विकल्पतः इसे पति एवं पत्नि दोनों के नाम स्वीकृत किया जा सकता है। तथापि यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध/जीवित नहीं है, तो आवास सहायता पात्र बीपीएल परिवार के पुरुष सदस्य को भी स्वीकृत की जा सकती है।



अनुदान / सहायता राशि की स्वीकृति (निरन्तर)

प्रत्येक आरक्षित वर्ग में से निम्नानुसार प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

1. मुक्त बंधुवा मजदूर परिवार।
2. जिन परिवारों की मुखिया विधवाएं, परित्यक्ता अथवा अविवाहित महिलाएं हैं।
3. ऐसे परिवार, जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे – दंगों से पीड़ित हैं।



अनुदान / सहायता राशि की स्वीकृति (निरन्तर)

4. कार्यवाही के दौरान मारे गये (Killed in action) रक्षा / अर्द्ध सैनिक बलों / राज्य पुलिस के कर्मचारियों की विधवायें / परिवार ।
5. विकासात्मक परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति, खानाबदोश / अर्द्ध खानाबदोश परिवार ।

लाभार्थियों का चयन क्र.स. 4 के अतिरिक्त, बीपीएल सूची में चयनित परिवारों में से ही किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार लाभार्थियों के चयन के पश्चात् शेष लाभार्थियों का चयन, वर्गवार, लॉटरी सिस्टम से किया जायेगा ।



लाभार्थियों की भागीदारी

- नवीन आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जावेगा।
- लाभार्थियों को नवीन आवास के निर्माण के सम्बन्ध में पूरी स्वतंत्रता होगी, परन्तु आवास निर्माण पक्का होगा। पक्का आवास से तात्पर्य पक्की दीवारे व पक्की छत (आरसीसी / पट्टी आदि) से है।
- लाभार्थियों के चाहने पर संबंधित नगर निकाय आवास निर्माण में तकनीकी मार्गदर्शन अपने अभियंताओं से दिलवायेगी।



लाभार्थियों की भागीदारी (निरन्तर

- 1.नगर निकाय की प्रशासनिक स्वीकृति के 15 दिवस में लाभार्थी को फोटो सहित आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) एवं बैंक बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति एवं आवास स्थल की भूमि के पट्टे (अथवा व्यक्ति/परिवार के कब्जे के प्रमाण स्वरूप विभागीय परिपत्र दिनांक 04.10.2012 में वर्णित दस्तावेजों) की सत्यापित प्रति नगर निकाय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करेंगे।
- 2.नगर निकाय से वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त की राशि (40 प्रतिशत) लाभार्थी के खाते में जमा होने की तिथि से एक माह में नवीन आवास का निर्माण प्रारम्भ कर रिपोर्ट नगर निकाय को देनी होगी तथा 3 माह में आवास का निर्माण लिंटल लेवल तक पूर्ण कर, निर्माणाधीन आवास का फोटो एवं द्वितीय किश्त की मांग का आवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-3-4 में) नगर निकाय को देकर रसीद प्राप्त करेंगे।



लाभार्थियों की भागीदारी (निरन्तर

- 3.नगर निकाय से द्वितीय किश्त की राशि (40 प्रतिशत) लाभार्थी के खाते में जमा होने की तिथि से तीन माह में छत, खिडकी एवं दरवाजों का कार्य पूर्ण कर, साईन बोर्ड सहित लाभार्थी एवं आवास का फोटो के साथ तृतीय किश्त की मांग का आवेदन एवं पूर्णता प्रमाण पत्र (प्रपत्र-5 मे) नगर निकाय को देकर रसीद प्राप्त करेंगे। आवास की छत, खिडकी, दरवाजे का कार्य पूर्ण करने के साथ-साथ लाभार्थी को मकान की दीवार पर ऑयल पेन्ट से एक साईन बोर्ड 2 फुट X 2 फुट आकार का बनवाना होगा।
- 4.नगर निकाय से तृतीय किश्त की राशि (20 प्रतिशत) लाभार्थी के खाते में जमा होने पर लाभार्थी को अपने आवास के प्लास्टर/पोइंटिंग, आंगन आदि (finishing) का कार्य शीघ्र कराना होगा।



इकाई अनुदान सहायता

- नये आवास के निर्माण के लिए "मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना" के अंतर्गत प्रति इकाई अनुदान सहायता की राशि प्रति परिवार हेतु रूपये 50,000 /- देय है, इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु रूपये 5,000 /- की अनुदान सहायता विभाग की अन्य योजनाओं से अलग से देय होगी। आवास निर्माण में योजनान्तर्गत स्वीकृत अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से वहन करना होगा।



आवास निर्माण का स्थल

- योजनान्तर्गत आवासीय इकाई का स्थल स्वयं लाभार्थी का होना चाहिए व विवादित नहीं होना चाहिए। राजकीय / चरागाह भूमि में अतिक्रमण का स्थल नहीं होना चाहिए। यथा-सम्भव यह स्थल आपदा प्रवण क्षेत्रों जैसे बाढ की अधिकता वाले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए।



लेखों का रख-रखाव एवं राष्ट्रीयकृत / सूचीबद्ध बैंक में अलग खाता

- राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी एवं नगर निकायों द्वारा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निर्धारित लेखांकन प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जायेगा।
- नगर निकायों द्वारा योजना का राष्ट्रीयकृत / सूचीबद्ध बैंक में एक अलग खाता खोला जायेगा। जिसमें प्राप्त होने वाले ऋण की राशि रखी जावेगी तथा इससे लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु अनुदान सहायता की राशि जारी की जावेगी।
- इस योजना हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी एवं नगर निकाय स्तर पर अलग से लेखों का संधारण किया जावेगा।



लेखों का रख-रखाव एवं राष्ट्रीयकृत / सूचीबद्ध बैंक में अलग खाता

- बैंक खाते में अर्जित ब्याज की राशि को योजना के संसाधनों का हिस्सा माना जायेगा, जिसका उपयोग इसी योजना के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय के लिए ही किया जा सकेगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 मार्च तक के अंतिम लेखों को उसके आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून या उससे पूर्व सम्बन्धित नगर निकाय की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित और उसी वर्ष में 31 अगस्त या उससे पूर्व लेखा-परीक्षण कराना होगा।
- सम्बन्धित नगर निकाय की साधारण सभा द्वारा स्वीकृति के पश्चात् लेखा-परीक्षक से परीक्षित रिपोर्ट की प्रतियां 30 सितम्बर या उससे पूर्व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को भिजवानी होगी।



ढेकेदारों अथवा विभागीय निर्माण पर प्रतिबंध

- मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के आवासों के निर्माण में राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी एवं नगर निकायों द्वारा किसी ढेकेदार को नहीं लगाया जायेगा। आवास का निर्माण किसी सरकारी विभाग द्वारा नहीं कराया जायेगा, परन्तु लाभार्थियों के चाहने पर नगर निकाय द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।



आवास का डिजाइन

- योजनान्तर्गत आवास के लिए **कोई डिजाइन निर्धारित नहीं** हैं।
- योजनान्तर्गत आवासों का ले-आउट, आकार और डिजाइन स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर लाभार्थी अपनी इच्छा एवं आवश्यकता के अनुसार निर्धारित कर सकता है।
- विकलांगों के लिए बनाये जाने वाले मकानों में बाधा रहित मकान की संकल्पना अपनाई जानी चाहिए। आपदारोधी विशेषता वाले डिजाइन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लाभार्थियों की सुविधा के लिए भूकम्प अवरोधी निर्माण के सुझाव तथा आवास निर्माण हेतु सुविधा के लिए कुछ प्रचलित आवासों के नक्शे मार्गदर्शिका में उपलब्ध कराये गये है।



निर्मित आवासों की सूची

- योजनान्तर्गत निर्मित आवासों की एक पूर्ण सूची नगर निकाय व राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी स्तर पर संधारित की जायेगी, जिसमें आवासों का निर्माण प्रारम्भ व पूर्ण होने की तारीख, नगर निकाय का नाम व पता जहां आवास स्थित है, लाभार्थियों के नाम, श्रेणी, व्यवसाय, बीपीएल क्रंमाक, स्वीकृत राशि एवं भुगतान राशि आदि का विवरण होना आवश्यक है।



आवास पर योजना का साईन बोर्ड अंकित करना

- योजनान्तर्गत आवास बन जाने पर सम्बन्धित नगर निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार प्रत्येक निर्मित आवास की दीवार पर मुख्य दरवाजे के दांयी अथवा बांयी ओर ऑयल पेन्ट से एक साईन बोर्ड अंकित किया गया हो, जिसका प्रारूप निम्नानुसार है :-

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना

- लाभार्थी का नाम मय पति / पिता का नाम
- स्वीकृति वर्ष
- स्वीकृत राशि

(साईन बोर्ड का आकार— 2 फुट X 2 फुट)



आवास निर्माण की अवधि

- अनुदान सहायता की प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः एक महिने की अवधि में आवास का निर्माण प्रारम्भ कर लगभग 5–6 माह की अवधि में पूर्ण कराना होगा।
- किसी भी स्थिति में आवास निर्माण में 8–10 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष में आवास को पूर्ण कराना होगा।



आवास निर्माण की अवधि (निरन्तर ...)

प्रत्येक स्तर पर आवास निर्माण एवं भुगतान की समय सीमा निम्नानुसार निश्चित की गई है :-

- प्रथम किश्त प्राप्त होने की तिथि से सामान्यतः एक माह में आवास का निर्माण प्रारम्भ कर देना होगा तथा आगामी 3 माह की अवधि में आवास का निर्माण लिन्टल लेवल तक करके द्वितीय किश्त का मांग-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नगर निकाय को प्रस्तुत करना होगा।
- नगर निकाय द्वारा एक सप्ताह में इसका भौतिक सत्यापन करना होगा। उक्त प्रपत्र के आधार पर नगर निकाय को 10 दिवस में द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित कर देनी होगी।



आवास निर्माण की अवधि (निरन्तर ...)

- लाभार्थी के खाते में द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त होने के 3 माह में उसे छत एवं खिडकी दरवाजों का कार्य पूर्ण कराना होगा तथा निर्धारित प्रपत्र में पूर्णता प्रमाण-पत्र नगर निकाय को प्रस्तुत करना होगा। नगर निकाय द्वारा एक सप्ताह में इसका भौतिक सत्यापन करना होगा। उक्त पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर नगर निकाय को 10 दिवस में तृतीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित करनी होगी।



योजना से सम्बन्धित कठिनाई / शिकायतों का निराकरण

- योजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की जानकारी / कठिनाई / शिकायत संबंधित प्रार्थना पत्र नगर निकाय में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसका सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा 15 दिवस में निस्तारण कर प्रकरण पर की गई कार्यवाही से प्रार्थी को लिखित में सूचित करना होगा।
- एक माह में कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिसका राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना होगा।



निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण

- राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी में योजना का काम देख रहे अधिकारियों को नियमित रूप से नगर निकायों का दौरा करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन संतोषप्रद हो रहा है और मकानों का निर्माण निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो रहा है।
- इसी तरह से नगर निकाय स्तर पर योजना का काम देख रहे अधिकारियों को नियमित रूप से कार्य स्थलों का दौरा कर योजना के समस्त पहलुओं की गहन निगरानी करनी होगी। नगर निकाय के अभियंताओं को अपने कार्य क्षेत्र के समस्त आवासों का नियमित निरीक्षण करना होगा।
- राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा की जावेगी।



मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

- नगर निकायों द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक मासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में नियमित रूप से उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित करनी होगी।
- उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इकजाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में हर माह 10 तारीख तक राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को नियमित रूप से प्रेषित करनी होगी।



योजना में पारदर्शिता

नगर निकाय स्तर पर कार्यक्रम में और पारदर्शिता लाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए :-

1. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लाभान्वित किये गये/जाने वाले लाभार्थियों की वर्गवार सूची का विस्तृत ब्यौरा निकाय कार्यालय की दीवार पर अंकित हो।
2. योजना के अंतर्गत नगर निकाय को किया गया आवंटन व योजना के दिशा-निर्देश/लाभार्थियों के चयन का मानदण्ड आदि भी निकाय कार्यालय के बोर्ड पर अंकित हो।
3. स्वीकृत किये गये आवासों की सूची जिसमें लागत, निधियों के स्रोत तथा पूर्ण/प्रगतिरत आवासों का उल्लेख हो, संबंधित महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निकाय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जावे।



क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग

- राज्य स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग हेतु निम्नानुसार एक समिति का गठन किया गया है :-
 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग – अध्यक्ष
 2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग – सदस्य
 3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग – सदस्य
 4. मुख्य महा प्रबंधक, राज. आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. – सदस्य
 5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग – सदस्य सचिव
- यह समिति योजनान्तर्गत लक्ष्य निर्धारण तथा समय-समय पर योजना की समस्याओं का निराकरण एवं प्रगति की समीक्षा करेगी।



क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग

- योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने से लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं समस्त किशतों की राशि का लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरण करने की कार्यवाही हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय अधिकृत है।
- योजना की समयबद्ध क्रियान्विति का उत्तरदायित्व भी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय का है।



क्रियान्विति एवं मॉनिटरिंग (निरन्तर

- नगर निकाय स्तर पर, पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु एक समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है :-
 1. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, संबंधित नगर निकाय – अध्यक्ष
 2. प्रभारी अधिकारी (मु.मं.श.बीपीएल आ.योजना), संबंधित नगर निकाय – सदस्य
 3. संबंधित जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि – सदस्य
 4. मुख्य कार्यकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधि., संबंधित नगर निकाय – सदस्य सचिव
- समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची का संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन उपरान्त ही संबंधित मुख्य कार्यकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निकाय द्वारा स्वीकृतियाँ जारी की जायेगी।
- संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा योजना की क्रियान्विति का नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा योजना की क्रियान्विति में आ रही समस्याओं का समाधान व विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा।



क्षेत्रवाद

